न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शेषकरण बनाम रामधन वगैरह

किस्म मुकदमा— 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 569/2025 (नसीराबाद)

पोषणीय नहीं होने से खारिज
16/12/25

	श्री सीताराम रावत	
15.12.2025	शेषकरण बनाम रामधन वगैरह (2025/569) यह अपील श्री सीताराम रावत एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 150/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 16.12.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
16.12.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन निवेदन किया कि दावकृत भूमि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है जिस पर अपीलांट वर्षो से काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के दावे को गैर कानूनी तरीके से दिनांक 09.12.2025 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी/अपीलांट को भूमि से बेदखल करना चाहता है के विरूद्ध स्थगन आदेश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। दावाकृत भूमि अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी भूमि होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में निहित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम देराठू में स्थित खसरा नम्बर 5482, 5461, 5475/7210, 5460, 5459/7211, 5509 पर ताफैसला अपील तक अपीलांट को उसके कब्जे आधिपत्य में दखल बाधा व्यवधान कारित नहीं करें तथा भूमि का रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करे एव ना ही किसी अन्य से दखल अंदाजी कराये तथा बेदखल नहीं करे के आदेश न्यायहित में पारित करने के आदेश फरमावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के विरूद्ध अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2025 को प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पेश किये जाने से तलब कर अप्रार्थी को नोटिस रजिस्टर्ड एडी से जारी किये जाने आदेश प्रदान कर तारीख पेशी 17.12.2025 नियत की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई, उक्त आदेश दिनांक 09.12.2025 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही हैं अतः अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर (राज0)

–00– 569/2025

अपील संख्या /2025

–00–

शेषकरण पुत्र गंगाधर आयु 35 वर्ष समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. रामधन पुत्र उगमा
2. सांवरा पुत्र उगमा
3. गोपाल पुत्र उगमा
4. पारसी पुत्री उगमा
5. मन्जू पत्नि गोकुल
6. मंगला पुत्र सूरा
7. संतोक पुत्री तेजा
8. प्रभू पुत्र हगामी
9. नन्दलाल पुत्र किशनी
10. जगदीश पुत्र किशनी समस्त जातिगण बलाई निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पाडेंट्सगण

12. मुरलीधर पुत्र बंशी उर्फ बंशीधर आयु 70 वर्ष
13. श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नि स्व. श्री गंगाधर आयु 68 वर्ष
14. रणजीत पुत्र गंगाधर आयु 50 वर्ष जातिगण ब्राहमण निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर (राज.)

परफोर्मा रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 को प्रकरण संख्या 150/2024 उनवान मुरलीधर व अन्य

2025/569
16.12.25

Scanned with CamScanner